प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्श 2015 प्र0सु0रि0स0 01
दिनांक 20.02.2015

2. धारा 177,420,468,471 आई.पी.सी

3. (क) अपराध की घटना : 01.08.2014
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 20.02.15 समय 6:40 पी0एम0.
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 09

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थल : उतर / पि चम 11 कि0मी0 सचिवायल चण्डीगढ़

6. ि ाकायतकर्ता / सूचनादाता
नाम सुरे ा कुमार, उप पुलिस अधीक्षक
पिता का नाम
राश्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय सरकारी नौकरी
पता थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकुला

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
बिजेन्द्र सिंह आ ुलिपिक कम पुस्तकाध्यक्ष (एच.सी.एस नगरधी ा झज्जर)

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा में, प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो,सैक्टर–17, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 3 दिनांक 12.11.2014 पंचकूला श्री भजन लाल पुत्र श्री गौरी भांकर भार्मा भूतपूर्व सैनिक वासी गांव किरतान, तहसील हिसार की ि ाकायत पर महानिदे ाक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के पृश्ठ क्रमांक 15207 / आई0–4 / रा0चौ0ब्यू0 (ह0) पंचकूला दिनांक 12.11.2014 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतू, श्री मनबीर सिंह, एच0पी0एस0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला को सौंपी गई थी। जो ि ाकायत में अन्य अरोपों के ईलावा आरोप नम्बर 2 यह था कि, श्री

बिजेन्द्र सिंह, स्टैनोग्राफर कम लाईब्रेरियन अभियोजन विभाग, जिला रिवाड़ी में नियुक्त था, जिसने बी.बी.ए. की डिग्री नैपच्यून प्रबन्धन एवं प्रौधोगिक संस्थान, पाड़व नगर, नई दिल्ली से ली हुई है, जबकि यह संस्थान वि ववविधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की सूची में भाामिल नही है, जो इस आरोप की पड़ताल से पाया कि, श्री बिजेन्द्र सिंह वर्श 1987 में हरियाणा सिविल सचिवालय मे स्टैनोग्राफर के पद पर नियुक्त हुआ था। जिसने सरकारी नौकरी मे भर्ती होते समय दसवीं पास का प्रमाण पत्र दिया था और बिजेन्द्र सिंह ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान वर्श 1989 में विभाग से अनुमति प्राप्त करके पजांब वि ववविधालय चण्डीगढ से प्रभाकर दिसम्बर 1989 में पास की गई। दिनांक 31.03.1994 को बिजेन्द्र सिंह जिला न्यायवादी रेवाड़ी के कार्यालय मे स्टैनोग्राफर कम लाईब्रेरियन के पद पर नियुक्त हुआ। जहां नियुक्ति के दौरान बिजेन्द्र सिंह द्वारा वर्श 2006 से 2009 के दौरान पत्राचार के माध्यम से नैप्चयुन प्रबंधन एंव प्रौधौगीक संस्थान, पाडंव नगर, नई दिल्ली से तीन वर्शीय बी.बी.ए. कोर्स पास किया। जो इस कोर्स को करने से पहले या बाद में बिजेन्द्र सिंह द्वारा विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नही की गई। इसके उपरान्त बिजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 23.02.2011 को प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया की उसकी बी.बी.ए. व प्रभाकर के प्रमाण पत्रों का ईन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में किया जाये। जिस पर जिला न्यायवादी रेवाड़ी द्वारा बिजेन्द्र सिंह का प्रार्थना पत्र निदे ाक अभियोजन विभाग हरियाणा पंचकूला को आगामी आव यक कार्यवाही हेतू भेज दिया। इसके उपरान्त बिजेन्द्र सिंह द्वारा वर्श 2011–2012 मे बी.बी.ए. के प्रमाण पत्रों के आधार पर पत्राचार के माध्यम से विनायक मि ान वि ववविधालय, सलेम तामिलनाडू से एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त की गई। जिस बारें भी बिजेन्द्र सिंह द्वारा विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नही की गई। नैप्चयुन प्रबधंन एंव प्रौधौगिक संस्थान, पाडंव नगर, नई दिल्ली के बारें वि ववविधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिस बारें अनुदान आयोग ने सूचित किया कि, नैप्चयुन प्रबधंन एंव प्रौधौगिक संस्थान, पाडंव नगर, नई दिल्ली दूरवर्ती ि ाक्षण संस्थान/वि ववविधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अधिकृत नही है तथा नैप्चयुन प्रबधंन एंव प्रौधौगिक संस्थान, पाडंव नगर, नई दिल्ली द्वारा भी लिखकर दिया गया कि, उनके कोर्स स्वायत कोर्स है। जो यू.जी.सी. या किसी वि ववविधालय से मान्यता प्राप्त नही है। नैप्चयुन प्रबंधन एंव प्राधौगिक संस्थान केवल सर्टिफिकेट कोर्स कराता है, जो किसी सरकारी नौकरी या अन्य किसी डिग्री कोर्स के लिये मान्य नही है। जिस बारें संस्थान द्वारा अपनी विवरण पत्रिका मे भी लिखा हुआ है। श्री बिजेन्द्र सिंह के बी.बी.ए. व एम.बी.ए. के प्रमाण पत्र जो किसी भी वि व विधालय व वि व विधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नही है और ना ही श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा उक्त कोर्स करने से पहले सक्षम अधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त की जानी पाई गई। अतः श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा अपने आवेदन फार्म में गलत व झुठी सूचना लिखकर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को धोखें में रखकर अपने उक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर अपना नाम एच.सी.एस. रजिस्टर–ाा, (कार्यकारी भााखा) पद पर चयन हेतू मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवा दिया, जिस पर उसकी नियुक्ति एच.सी.एस. रजिस्टर–ाा, (कार्यकारी भााखा) के पद दिनांक 01.08.2014 को हो गई थी । जिसनें ऐसा करके अपराध

जेर धारा 177, 420, 468, 471 भा0दं0सं0 का किया है। श्री बिजेन्द्र सिंह आ ुलिपिक–कम–पुस्तकाध्यक्ष अब एच.सी.एस. नगराधी ा झज्जर के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने की सिफारि ा करके, जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदे ाक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला के क्रमांक 1420 दिनांक 27.01.2015 के द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ को भेजी गई थी, जो अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदे ा क्रमांक 14/3/14–2 चौ0(1) दिनांक 09.02.2015 के द्वारा श्री बिजेन्द्र सिंह आ ुलिपिक–कम–पुस्तकाध्यक्ष अब एच.सी.एस. नगराधी ा झज्जर के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने के आदे ा प्राप्त होने पर तहरीर हजा तैयार करके मुकदमा दर्ज करने हेतू भेजी जाती है। **हस्ताः–** सुरे ा कुमार उप पुलिस अधीक्षक, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, सै0–17, पचंकूला दिनांक 20.02.15 । अज थानाः– उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट सी0जे0एम साहब पंचकूला वा उच्च अधिकरियों की सेवा मे बजरिया डाक भेजी जा रही है। **जांच अधिकारीः–** श्री कृश्ण कुमार उप पुलिस अधीक्षक, थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला ।

हस्ता/–
उप नि0 रमे ा चन्द 446/सोनीपत
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला।

प्रेशक

प्रबन्धक ,
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,
पंचकूला मण्डल, पंचकूला।

सेवा में

प्रवर पुलिस अधीक्षक,
राज्य चौकसी ब्यूरो,
हरियाणा, पंचकूला।

क0 /थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला दिनांक

वि ाय:– मुकदमा न0 01 दिनांक 20.02.15 जेरधारा 177,420,468,471, आई.पी.सी थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला।

यादीः

उपरोक्त अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की टाईप ुदा चार प्रतियां आव यक कार्यवाही हेतू सेवा में प्रेशित हैं।

प्रबन्धक,
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,
पंचकूला मण्डल पंचकूला।